

*ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- निर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या-462, दिनांक-28.03.2025 के व्यय की स्वीकृति को रद्द करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय राज्यादेश संख्या-462, दिनांक-28.03.2025 द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल के संचालन हेतु 37 जिला मुख्यालय में अवस्थित नगर निकायों को कुल राशि ₹1967.475 लाख (उन्नीस करोड़ सड़सठ लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र आवंटित किया गया। उक्त राशि की निकासी कतिपय कारणों से नहीं हो पाई।

2. अतः विभागीय राज्यादेश संख्या-462 दिनांक-28.03.2025 द्वारा आवंटित राशि के व्यय की स्वीकृति को रद्द किया जाता है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-04/वृद्धजन-12-02/2025

6974

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-08/07/26

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 06 एवं 04 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।